वीर बहादुर सिंह पूर्वा[illegible]विद्यालय, जौनपुर–222003

पत्रांक–3632 / पू0वि0वि / शैक्षणिक / 2[illegible] दिनांक– 30-9-21

प्रवेश समिति की बैठक दिनांक– 18.06.2021 की कार्यवृत्त

कार्यसूची–1. विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा अनुभाग–7 के पत्र दिनांकः 07.06.2019 एवं उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग–2 द्वारा निर्गत कार्यालय ज्ञाप संख्या–1/2019/4/1/2002 का–2/19 टी0सी0/II लखनऊ दिनांक 18.02.2019 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था जो दिनांक 01.02.2019 से प्रभावी है के सम्बन्ध में विचार।

निर्णय– **सदन द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी।**

कार्यसूची–2. बी0एड0 पाठ्यक्रम में महाविद्यालयों द्वारा अतिरिक्त सीटों पर प्रवेश के सम्बन्ध में स्थायी सम्बद्धता समिति के निर्णय पर विचार।

निर्णय– **सदन द्वारा विचारोपरान्त सर्वसम्मति से कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी।**

कार्यसूची–3. बी0पी0एड0 पाठ्यक्रम शैक्षिक सत्र 2019–21 में प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ किये जाने पर विचार।

निर्णय– **सदन द्वारा विचारोपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि बी0पी0एड0 पाठ्यक्रम शैक्षिक सत्र 2019–21 से प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ किये जाने पर स्वीकृति प्रदान की गयी।**

कार्यसूची–4. विश्वविद्यालय परिसर में प्रो0 राजेन्द्र सिंह, रज्जू भैया भौतिकीय विज्ञान एवं शोध संस्थान के भू एवं ग्रहीय विज्ञान विभाग में सत्र 2020–21 से एम0एस–सी0 वायुमंडलीय विज्ञान में 20 सीट एवं पी–एच0डी0 कोर्स में प्रवेश किये जाने के सम्बन्ध में विचार।

निर्णय– **विश्वविद्यालय परिसर में प्रो0 राजेन्द्र सिंह, रज्जू भैया भौतिकीय विज्ञान एवं शोध संस्थान के भू एवं ग्रहीय विज्ञान विभाग में सत्र 2020–21 से एम0एस–सी0 वायुमंडलीय विज्ञान में 20 सीट एवं पी–एच0डी0 कोर्स में प्रवेश लिये जाने के सम्बन्ध में सदन द्वारा व्यय–भार/प्राध्यापकों की नियुक्ति आदि बिन्दुओं पर विचार कर पुनः प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।**

कार्यसूची–5. मिनिस्ट्री आफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेण्ट, इकोनामिक एडमिनिस्ट्रेशन डिविजन के पत्र दिनांक 5 नवम्बर, 2019 के आलोक में काश्मीरी विस्थापित नागरिकों को उच्च शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश दिये जाने के सम्बन्ध में विचार।

निर्णय– **मिनिस्ट्री आफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेण्ट, इकोनामिक एडमिनिस्ट्रेशन डिविजन के पत्र दिनांक 5 नवम्बर, 2019 के आलोक में काश्मीरी विस्थापित नागरिकों को उच्च शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश दिये जाने हेतु सैद्धान्ति रूप से स्वीकृति प्रदान की गई।**

कार्यसूची–6. परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 01.11.2019 में अध्यक्ष की अनुमति से अन्य बिन्दु पर लिये गये निर्णय समिति के अनुमोदनार्थ।

(i) इण्टर से स्नातक तथा स्नातक से स्नातकोत्तर में प्रवेश हेतु दो वर्ष के अन्तराल को बढ़ाकर सात वर्ष किये जाने का निर्णय।

(ii) स्नातक किसी भी संकाय/विषयों में उत्तीर्ण छात्र/छात्रा एम0ए0 के किसी भी विषय में प्रवेश लेने सम्बन्धी निर्णय।

निर्णय– **सदन द्वारा सर्वसम्मति से परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 01.11.2019 में अध्यक्ष की अनुमति से बिन्दु– i एवं ii को अनुमोदित किया गया।**

<u>अध्यक्ष की अनुमति से अन्य बिन्दु पर विचार</u>

कार्यसूची–1. शैक्षिक कैलेण्डर सत्र 2021–22 के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय– **शैक्षिक कैलेण्डर सत्र 2021–22 को लागू किये जाने हेतु सदन द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की गयी।**

सचिव

29/09/2021
अध्यक्ष